Non-Budgetary Support to Public Sector Fertilizer Companies

476. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether non-Budgetary support to public sector fertilizer companies was extended on the premise that it was cheaper to produce fertilizer, as compared to the cost of importing the same;

(b) whether on this basis Government contemplate to shut down all fertilizer units in the country, in view of the present international price of Urea; and

(c) if so, the reasons therefor and if not, how such presumption was made by the Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) to (c) Considering the gap between the demand and domestic production and the then prevailing high costs of import, non-plan budgetary support was stepped up to Hindustan Fertilizer Corporation and Fertilizer Corporation of India to supplement domestic production.

The Government has no intention of closing down public sector units which are otherwise viable in the context of falling import prices. However, the extent of the non-plan budgetary support to these two public sector companies which stand referred to the BIFR needs to be reviewed in the context of the deteriorating health of their plants, the heavy investments required for their maintenance, budgetary constraints and continuing fall in urea prices in the international market.

Violation of Jute Packaging by Materials Act

477. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that majority of the fertilizer units are violating the Jute Packaging Materials (Compulsory use in Packaging Commodities) Act, 1987 making it mandatory to use Laminated Jute bags for packing 50% of their product; and

(b) if so, the details thereof and what steps are being taken to see that the order is implemented by all the fertilizer units?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (DR. A.K. PATEL): (a) and (b) Most of the fertilizer units are packing 50% or close to 50% of their production of Urea in jute bags as per stipulation of the order.

Appropriate measures have been taken from time to time by the Jute Commissioner's Office. These measures include, constant monitoring of the utilization of jute bags by Urea Manufacturing units by directing them to submit information in the prescribed format, undertaking field visit to check up the companies registers, stock of bags, reconcile the information submitted by them with their registers/ records, issuing show cause notices to erring units. As a result of these continuous follow up measures, the overall performance of the fertilzier sector in using jute bags for packing urea has considerably improved.

उर्वरकों पर राज-सहायता समाप्त करना

478. **श्री डी० पी० यादव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 के अन्त तक, प्रमुख उर्वरक संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन किया गया तथा यह मात्रा गत वर्ष की मात्रा की तुलना में अधिक है;

(ख) उर्वरकों को किसानों को बेचने से पहले उन पर कितनी राज-सहायता प्रदान की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार उर्वरकों पर राज-सहायता समाप्त करने जा रही है, यदि हां तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) वर्ष 1997-98 के दौरान प्रमुख उर्वरक संयंत्रों द्वारा उत्पादित उर्वरक की मात्रा 100.86 लाख टन नाइट्रोजन और 29.76 लाख टन फास्फेट थी। वर्ष 1996-97 के दौरान नाइट्रोजन और फास्फेट का उत्पादन क्रमशः 85.99 लाख टन और 25.56 लाख टन था। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1997-98 के दौरान नाइट्रोजन तथा फास्फेट का उत्पादन क्रमशः 17.3% और 16.4% बढ़ गया।

(ख) यूरिया का बिक्री मूल्य सरकार द्वारा सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार, किसानों को नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित किये गये निर्देशक मूल्य पर की जाती है। तदनुसार निर्माताओं/आयातकर्ताओं को सबसिडी/रियायत का भुगतान किया जाता है ताकि वे सरकार द्वारा निर्धारित किये गये वहनीय मूल्य पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री करने में समर्थ हो सकें। उत्पादन तथा आयातों की लागत पर निर्भर करते हुए सबसिडी/रियायत का स्तर समय-समय पर भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) जी, नहीं।

उर्वरक उद्योग से अर्जित किया गया राजस्व

479. **लाला लाजपत राय:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97, 1997-98 और आज तक सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न उर्वरक योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 1998-99 के दौरान सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 31 दिसम्बर, 1998 तक कितने मूल्य के उर्वरकों का उत्पादन किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) उर्वरकों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है। उर्वरक कम्पनियों द्वारा अदा किये गये कार्पोरेट कर के ब्यौरे विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्रतिधारण मूल्य-सह-सहायता स्कीम, नियंत्रणमुक्त पी तथा के उर्वरकों की रियायती बिक्री की स्कीम, ब्याज रियायत स्कीम, आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन स्कीम आदि जैसी विभिन्न स्कीमों पर क्रमशः 6192.35 करोड़ रुपये तथा 8617.93 करोड़ रु० व्यय किया गया था।

(ग) उर्वरक उद्योग ने उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित रणनीति अपनाई है:—

(i) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का रेट्रोफिटिंग/पुनरुद्धार।

(ii) नैफथा पर आधारित विस्तार परियोजनाओं की स्थापना करके तथा मौजूदा संयंत्रों और कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में दोहरी ईंधन/फीडस्टाक सुविधाओं की स्थापना करके प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाईयों पर काबू पाना, तथा

(iii) प्रचुर तथा सस्ते कच्चे माल के स्रोतों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, उर्वरक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा उत्पादन लागत में कटौती के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध हैं:—

(i) उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये सामान्यतः किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(ii) नये संयंत्रों की स्थापना करने/मौजूदा संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये पूंजीगत मालों का निःशुल्क आयात।

(iii) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली पद्धति के तहत की जायें।

(iv) उर्वरक कच्चे मालों तथा मध्यवर्त्तियों का निःशुल्क आयात।